IV 04/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 894465

दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास-पत्र)

हम कि गोपाल जी त्रिपाठी पुत्र स्व0 शांगुर त्रिपाठी ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है, जो दिनांक [illegible] को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रूचि रहने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। हम गोपाल जी त्रिपाठी संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व श्रीमती मंजू त्रिपाठी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए गुरूकुल ज्ञान ट्रस्ट, ग्राम-बढ़या फुलवरिया पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है -

ट्रस्ट (न्यास का नाम)	-	गुरूकुल ज्ञान ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता	-	ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया
		थाना-भलुअनी, तहसील-बरहज, जनपद-देवरिया (उ0 प्र0)
		पिनकोड- 274182

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 894466

मुख्यालय :- पंजीकृत कार्यालय ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया। आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

1- श्री गोपाल जी त्रिपाठी पुत्र स्व0 झांगुर त्रिपाठी ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया। (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)।

2- श्रीमती मंजू त्रिपाठी पत्नी श्री गोपाल जी त्रिपाठी ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया। (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)।

3- श्रीमती संगीता तिवारी पत्नी उपेन्द्र तिवारी ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया। (सदस्य)

4- श्रीमती सन्ध्या त्रिपाठी पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया। (सदस्य)

5- अभय कुमार पुत्र श्री गोपाल जी त्रिपाठी ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया। (सदस्य)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 561630

6- सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 रामधार पाण्डेय ग्राम-अकोलही, पोस्ट-पाण्डेपुर राधे, जनपद-गाजीपुर। (सदस्य)

7- जगदीश प्रसाद गुप्त पुत्र स्व0 राजमन प्रसाद गुप्त, मेन रोड, अस्पताल चौक, नौतनवां, जनपद-महाराजगंज। (सदस्य)

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य :-

भिन्न-भिन्न स्थान पर हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्नातक शिक्षा महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (संस्थाओं) आदि की स्थापना करना ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनकी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CR 561631

इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजो व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संस्थानों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालित करना, शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर बना उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाऐंगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाये गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोद्यान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र उद्यान साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय समय से समय समय पर, आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वयक स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी०टी०सी०, बी०एड०,बी०पी०एड०, आई०टी०आई, पालिटेक्निक्स कालेज, मेडिकल कालेज, सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० के स्कूलों की स्थापना करना। उ०प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालित करना। देश-विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के राजकीय, राष्ट्रीय में

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CR 561632

अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसकी आशा पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थायें यथा—आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, मूक आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। सत्संग, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं संचालन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रमुख साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (विविध चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह-उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, दहेज प्रथा निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छिकता का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा(प्रौढ़शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास, एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, न्याय, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य [illegible] एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिकर्म, वेतनभुक्त युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 561633

कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, अभिलेख एवं संग्रहालय, धर्मार्थ अस्पताल, एकल नियोजन, गंगा-यमुना आदि स्वच्छीकरण, आगरा ताज, पेयजल एवं स्वच्छता, सरकारी समितियां सहायता एवं वैकल्पिक शिक्षा सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त व्यवसायिक शिक्षा, ग्रामीण चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन सम्बन्धी, मानसिक परिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान, निर्माण समिति, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डार, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर, अल्पसंख्यक एवं जनजाति के शैक्षिक विकास हेतु भारतीय संविधान के अनु0-29 में वर्णित अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना। भारतीय संविधान के अनु0-30 के अनुसार सभी प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु सरकारी आदि [illegible] करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12(1) तथा धारा 11(2) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप [illegible] विभिन्न योजनाओं में समाहित।

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू अन्य प्राच्य भाषाओं के प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी,10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं का प्रदान करना।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली जनकल्याणकारी परियोजनाओं को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325069

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य :-

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद श्रीमती मंजू त्रिपाठी पत्नी श्री गोपाल जी त्रिपाठी, ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया, जनपद-देवरिया होंगी, इनके अन्त के बाद इनके पुत्र में जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। महासचिव संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। किन्तु इनके स्वभाविक/आकस्मिक अन्त के पश्चात इस पद पर इनके विधिक उत्तराधिकारी अथवा घोषित उत्तराधिकारी को इस पद पर नियुक्त समझा जायेगा, किन्तु घोषित उत्तराधिकारी इसी वंशावली का ही होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता :-

गुरुकुल ज्ञान ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 नाट फॉर प्रॉफिट (Not for Profit) के अंतर्गत।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 325070

ट्रस्ट की सदस्यता :-

ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों-07 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से 51,000.00 रुपये (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा करवाकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त रू0 10,000.00 (दस हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं, जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम-

1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश होगा।

2- मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टी (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3- संस्था की साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325071

4- किसी भी विचाराधीन विषय पर समानता होने पर एक निर्णायक मत देना।

5- आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं सत्यापित करना।

6- ट्रस्टी (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7- ट्रस्टी (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्टी (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्टी (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

8- मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन या क्रय-विक्रय, लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।

9- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सरकार, राज्य, जनसामान्य किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

11- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12- संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी (न्यास) किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्रतिबन्ध संस्थापक ट्रस्टी एवं उनके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13- किसी भी समान उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14- पूर्व से संचालित कोई ऐसी संस्था/शिक्षण संस्थान यदि उसकी प्रबन्ध समिति एवं सम्पत्ति से प्रस्ताव पारित कर इस ट्रस्ट द्वारा बिना शर्त संचालन करने का अनुरोध करती है, तो उसका संचालन ट्रस्ट के नियमानुसार इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325072

15– ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

16– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

17– ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

18– ट्रस्ट के पदाधिकारी/सदस्यों की असामयिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात उसका विधिक उत्तराधिकारी उसी पद पर नियुक्त समझा जायेगा। जो मुख्य ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

<u>महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–</u>

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा निर्देश देना।

4– नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325073

5– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने, संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन एवं बहाली आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देना परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

6– ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाबद्ध प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

<u>सदस्य ट्रस्टी</u>

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सामान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो अंगों की होगी।

1– साधारण सभा

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)– साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 11,000.00 रु0 संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सहयोग शुल्क जमा करवाकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या–5 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

बैठक–

1– साधारण बैठकें– ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले लिखित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2– विशेष बैठकें– दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

93

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325075

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रायः ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अथवा पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों की 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य की असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 11000.00 रुपये नगद या इतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होगी।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1– बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2– ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितीकरण का अनुमोदन करना।

4– आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एव विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। नियमावली की कोई अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325074

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का विशेष आहूत महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकते है। विशेष परिस्थिति मे 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(1)– वार्षिक आय–व्यय बजट पेश करना।

(2)– ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(3)– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(4)– ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारणसभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है। लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उक्त प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उक्त संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325077

22– ट्रस्ट (न्यास) के कोष–
ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खाते का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23– ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य ऑडिटर से संस्था का आय व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–
ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

25– ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख– ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26– कुलमूल धन ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रू0 51000.00 (इक्यावन हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28– ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 325076

उपर्युक्त सम्पत्ति 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) के अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट के पास नहीं है।

दिनांक

दस्तखत गवाह

ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी
पुत्र श्री गोपाल जी त्रिपाठी
ग्रा० बढ़या फुलवरिया

मुख्य ट्रस्टी

गुरुकुल ज्ञान ट्रस्ट

ग्राम-बढ़या फुलवरिया, पोस्ट-ठाकुर देवरिया

जनपद-देवरिया (उ० प्र०)

दस्तखत गवाह

मसविदाकर्ता

28/03/2018